फर्द अहकाम

गोकुललाल बनाम सरकार

नाम न्यायालय ACM आमेर मु. जयपुर

केस संख्या 131/2017

क्रम संख्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से
	14/10/2025	पत्रावली पेश हुई। व. फ. उप., पत्रावली स्थगित आदेश 7/10/25 अनुसार आगामी पेशी दिनांक 17/10/25 को पेश हो।
	17/10/25	पत्रावली पेश हुई। व. फ. उप., पत्रावली स्थगित आदेश 7/10/25 अनुसार आगामी पेशी दिनांक 31/10/25 को पेश हो।
	31/10/25	पत्रावली पेश हुई। व. फ. उप., पत्रावली स्थगित आदेश 7/10/25 अनुसार आगामी पेशी दिनांक 4/11/25 को पेश
	4/11/2025	पत्रावली प्रस्तुत। व. फ. उप.। वास्ते आदेश दिनांक 24/12/2025 को पेश हो सहायक कलक्टर आमेर मु. जयपुर
	24/12/25	पत्रावली प्रस्तुत। व.फ.उप। बहस हुई मय पूर्व में दोनो पक्षों की लिखित बहस जो पेश है वास्ते आदेश दिनांक 31/12/2025 को पेश हो सहायक कलक्टर आमेर मु. जयपुर
	31/12/2025	पत्रावली प्रस्तुत। व.फ.उप.। प्रस्तुत साक्ष्य गवाहों व तर्कों के निर्णय के आधार पर वादीगण [illegible] साबित करने में असफल रहे [illegible] वादीगण खारिज किया गया। विस्तृत निर्णय पृथक से लिखवाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो सहायक कलक्टर आमेर मु. जयपुर

Signature Not Verified
Digitally signed by Suman Choudhary
Date: 2026.01.16 15:19:02 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय :– सहायक कलक्टर आमेर, मुख्यालय जयपुर (राज.)

पीठासीन अधिकारी : सुमन चौधरी
आर.ए.एस.

नियमित वाद संख्या – 131/2017 वाद प्रस्तुति दिनांक –23.10.2017

1. बाबुलाल पुत्र भूराराम आयु लगभग 50 वर्ष जाति मीणा निवासी जैन मन्दिर, सरकारी स्कूल के पास, ग्राम बैनाड़ झोटवाडा जयपुर।
2. सत्यनारायण पुत्र भूराराम आयु लगभग 48 वर्ष जाति मीणा निवासी जैन मन्दिर, सरकारी स्कूल के पास, ग्राम बैनाड़ झोटवाडा जयपुर।
3. कृष्णाकन्हैया पुत्र भूराराम आयु लगभग 40 वर्ष जाति मीणा निवासी जैन मन्दिर, सरकारी स्कूल के पास, ग्राम बैनाड़ झोटवाडा जयपुर।
4. सेडूराम पुत्र गंगाराम जाति मीणा निवासी जैन मन्दिर, सरकारी स्कूल के पास, ग्राम बैनाड़ झोटवाडा जयपुर।

.......वादीगण

बनाम

1. बरजी देवी पत्नी स्व० श्री भूरा (फौत)
1/1. उदयराम पुत्र स्व० श्री भूरा
1/2. खुबाराम पुत्र स्व० श्री भूरा (फौत)
(1/2/1) नरेन्द्र पुत्र स्व० खुबाराम
1/2/2. बिना पुत्री स्व खुबाराम
1/2/3. शकुन्तला स्व० खुबाराम
1/2/4. पार्वती पुत्री स्व० खुबाराम
1/2/5. गीता पुत्री स्व० खुबाराम
1/3. शान्ति देवी पुत्री स्व० श्री भूरा
1/4. प्रेम देवी पुत्री स्व० श्री भूरा,
समस्त जाति रेगर समस्त निवासी ग्राम बैनाड मय दौलतपुरा तहसील आमेर
2. लक्ष्मीनारायण पुत्र पेमाराम बैनाडमयदौलतपुरा तहसील आमेर जिला जयपुर।
3. कजोड़ पुत्र बदरी (फौत)
3/1 करतार पुत्र स्व० कजोड
3/2. महेन्द्र पुत्र स्व० कजोड़
3/3 नन्नू पुत्री स्व० कजोड़
3/4 प्रभाती पत्नी स्व० कजोड़
समस्त जाति खटीक निवासी ग्राम बैनाड तहसील आमेर जिला जयपुर।
4. राजस्थान सरकार जरिये लैण्ड होल्डर तहसीलदार, तहसील आमेर जिला जयपुर।

......प्रतिवादीगण

वाद बाबत घोषणा, दुरूस्ती एवं स्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा– 88, 89 एवं 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

Signature Not Verified
Digitally signed by Suman Choudhary
Date: 2026.01.16 16:19:03 IST
Reason: SelfAttested

उपस्थिति :–

(1) श्री के. आर. शर्मा अधिवक्ता वादी की ओर से
(1) श्री मोहनलाल जाट अधिवक्ता प्रतिवादी की ओर से

सहायक कलक्टर आमेर मु० जयपुर

दिनांक 31.12.2025

निर्णय

हस्तगत वाद के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार से है कि वाके ग्राम बैनाड़मय दौलतपुरा पटवार खोराबिसल भूअभिलेख निरीक्षक क्षेत्र हथमाडा तहसील आमेर जिला जयपुर में स्थित नम्बर–1 सरकारी भूमि स्थित आराजी खसरा नं. 504 रकबा 86 बीघा बजर द्वितीय भूमि पर प्रार्थीगण वादीगण आवंटन के समय से ही काबिज काश्त चले आ रहे थे तत्पश्चात् खसरा नम्बर–504 रकबा 5 बीघा भूमि भूरा पुत्र गंगाराम के नाम आवंटन की गई एवं खसरा नं. 504 रकबा 5 बीघा भूमि गंगाराम पुत्र बलदेव जाति मीणा के नाम आवंटित की गई थी नामान्तकरण संख्या– 224 दिनांक 10.06.1991 के जरिये खसरा नम्बर 504/6 रकबा 5 बीघा भूमि भूरा पुत्र गंगाराम के नाम गैरखातेदार से खातेदारी स्वीकार की गई एवं नामान्तकरण संख्या–225 दिनांक 10.06. 1991 के जरिये खसरा नं. 504/5 रकबा 5 बीघा भूमि गंगाराम पुत्र बलदेव जाति मीणा के नाम गैरखातेदारी खातेदारी स्वीकार की गई। साबिक खसरा नं. 504/5 रकबा 5 बीघा के हाल खसरा नम्बर 406 रकबा 86 ऐयर एवं खसरा नं. 410 रकबा 40 ऐयर अंकित किये गये एवं साबिक खसरा नं. 504/6 रकबा 5 बीघा भूमि के हाल खसरा नं. 417/1062 अंकित किये गये। जो प्रार्थीगण/वादीगण के नाम राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज व अमल है, एवं प्रार्थीगण वादीगण उक्त आराजीयात पर काबिज काश्त रह अपने परिवार का पालन–पोषण करते आ रहे है। वाके ग्राम बैनाड मय दौलतपुरा पटवार हल्का नांगल सिरस भू–अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र खोराबिसल तहसील आमेर जिला जयपर में स्थित खसरा नं. 406/1047, खसरा 406/1036 एवं 410437 भूमियो पर वादीगण प्रार्थीगण आवंटन से पूर्व से काबिज रह काश्त करते चले आ रहे है। उपरोक्त वर्णित आराजीयात पर वादीगण का कब्जा काश्त राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के प्रभाव में आने के समय से ही चला आ रहा है, लेकिन खसरा नम्बर 406/1047, खसरा नं 406/1036 एवं 410/ भूमियों का नामांतिकरण राजस्व रिकॉर्ट में बिना कोई आधार के अप्राथी प्रतिवादीगण संख्या–1 लगायत 3 के पूर्वजो के नाम दर्ज व अमल कर दिया गया है। जो प्रारम्भ से ही वादीगण के अधिकारो के प्रति प्रभावशून्य व बेअसर है। संख्या–3 में वर्णित आराजी कृषि भूमि को आगे चलकर सुविधा की दुष्टि से विवादित अराजियात के नाम से संबोधित किया जायेगा। कृषि भूमि खसरा नम्बर 406/1047, खसरा नं. 406/1036 एवं 410 पर वादीगण का राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के प्रभाव में आने के समय से कब्जा काश्त चला आ रहा है। इस प्रकार वादीगण को प्रतिकल खातेदारी, काश्तकारी कब्जे के सिद्धान्त के आधार अधिकारी प्राप्त है। प्रतिवादीगणो के पूर्वजो के बिना कब्जे के आधार पर आवंटन तस्दीक किया गया एवं तत्पश्चात् गलत आधार पर खतोदारी अधिकार प्रतिवादी संख्या–1 लगायत 3 के पूर्वजो को दिये गये जबकि उक्त आराजीयात् पर आवंटन से पूर्व से ही वादीगण काबिज रह काश्त करते चले आ रहे है, आज भी उक्त आराजीयात पर काश्त है। खसरा गिरदावरियो में वादीगण का कब्जा काश्त दर्ज है एवं कब्जे काश्त के आधार पर विवादित भूमि पर वादीगण ने मकान का

Signature Not Verified
Digitally signed by Suman Choudhary
Date: 2026.01.16 15:19:02 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
आमेर न. जयपुर

निर्माण करवाया है, राज्य सरकार के द्वारा समय–समय पर यह अधिसूचना एवं परिपत्र जारी कर सरकारी भूमियो पर किये गये अतिक्रमण को नियमित किये जाने के निर्देश दिये गये है राज्य सरकार की अधिसूचना कमाक–एफ–6 (7) रेव / जी.आर / 4 / 77 दिनांक 14.04.1977 के द्वारा सरकारी भूमि पर कृषि परियोजनार्थ दिनांक 01.07.1975 तक किये अतिक्रमणों को नियमित किये जाने के निर्देश प्रसारित किये ग इसी प्रकार संख्या–एफ–6 (10) राज / ग्रुप–4 / 77 दिनांक 23.04.1977 के द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में सरकारी भूमि तथा गैरमुमकिन भूमि पर दिनांक 01.07.1975 तक आवास, घर या वाडे वनाकर किये गये सभी अतिक्रमीयों के नियमन संबंधित निर्देश जारी किये गये है । विवादित भूमि पर वादीगण का कब्जाकाश्त चला आ रहा है। इसी आधार पर वादीगण को खातेदारी कषक घोषित किया जाना आवश्यक है। उपरोक्त वर्णित कृषि भूमि पर वादीगण व वादीगण के पूर्वज बजमाने जागीर से तथा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के प्रभावी होने के पूर्व से निरन्तर एवं निवोध रूप से काविज काश्त चले आ रहे है। इस प्रकार वादीगण के पूर्वज जागीर पुर्नग्रहण अधिनियम व राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार उपरोक्त वर्णित भूमि पर खातेदार काश्तकारी की हैसियत से काबिज काश्त के कारण स्वतः ही खातेदार काश्तकार हो गये तथा विवादित भूमि में कानूनन सभी प्रकार के हक हकूक खातेदारी निहित हो गये। वादीगण अपने पर्वजों के समय से विवादित भूमि पर राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के प्रभाव में आने के पूर्व से बहैसियत खातेदार काश्तकार काबिज होने के कारण तत्समय प्रभावशील जयपुर टिनेन्सी एक्ट 1945 की धारा 8 के तहत ही खातेदार हो चुके है। वादीगण ने विवादित भूमि में काफी रूपया खर्च कर काबिज काश्त योग्य बनाया था तथा वादीगण के पुख्ता रिहाययी मकानात भी मुद्दत कदीम से विवादित भूमि में बने हुए है जिनमें परिवार सहित निवास करता चला आ रहा है। 11. यह कि बन्दोबस्त कार्यवाही संबंध 2015 से 2034 में वादीगण के पूर्वजों की कब्जे व खातेदारी की उक्त भूमि के खातेदारी इन्द्राज वादी के पूर्वजो के नाम न किया जाकर अवैधानिक रूप से अन्य के नाम / अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 3 के पर्वजो के नाम दर्ज कर दिया गया वह सर्वथा अवैध एवं क्षेत्राधिकार विहीन होने के कारण प्रारम्भ से ही शुन्य एवं वाईड एवं इनिशियों है। दिनांक 30.09.2017 को प्रातिवादी संख्या–1 लगायत 3 ने वादीगण ऐलानिया धमकी दी की वह वादीगण के कदीमी पुख्ता रिहायशी मकानों को ध्वस्त कर देगें एवं उक्त विवादग्रस्त आराजीयात् पर कब्जा कर लेंगें । जिसके कारण वादीगण को दावा दायर कर वादग्रस्त भूमि से अपने निहित हक व अधिकार की घोषणा कराना आवश्यक हुआ तथा प्रतिवादी संख्या–1 लगायत 3 द्वारा वादीगण को अवैध रूप से बेदखल करने व पुख्ता रिहायशी मकानों को ध्वस्त करने की धमकी देने के कारण स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द कराना भी आवश्यक हुआ। प्रतिवादी संख्या–4 को लैण्ड होल्डर होने से पक्षकार प्रतिवादी बनाया गया है विनाय दावा दिनांक 30.09.2017 को उत्पन्न होकर उसके पश्चात् निरन्तर बना हुआ है। दावा

Signature Not Verified
Digitally signed by Suman Choudhary
Date: 2026.01.16 16:19:02 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
आमेर नं. जयपुर

वादीगण विरुद्ध प्रतिवादी बाबत् घोषणा डिकी फरमाया जाकर घोषणा की डिकी फरमाया जावें।

वाद प्रस्तुति के उपरान्त प्रकरण नियमानुसार दर्ज पंजिका किया गया तथा तलबी प्रतिवादीगण आदेशित किया गया। प्रतिवादी संख्या 1/1 व 1/2 ता 1/5, 1/3, 1/4, 2 बावजूद तामील अनुपस्थित रहने पर दिनांक 08.06.2022 को एकपक्षीय कार्यवाही की गई।

प्रतिवादी संख्या—3/1 से 3/4 की ओर से जवाब दावा प्रस्तुत कर अंकित किया कि वाद पत्र की मद संख्या—एक जिस प्रकार लिखी गयी गलत होने से अस्वीकार है। इस मद में लिखी इबारत से प्रतिवादी संख्या—3/1 लगायत 3/4 का कोई सम्बन्ध नहीं है, वाके ग्राम बैनाड मय नांगल सिरस, भू—अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र खोराबिसल तहसील आमेर, जिला— जयपुर में स्थित नम्बर—406/1036, 410/1037 भूमियां संख्या—3/1 लगायत 3/4 व उनके पूर्वजों की भूमियां है. प्रतिवादी जिस पर प्रतिवादी संख्या—3/1 लगायत 3/4 व उनके पूर्वज कब्जा काश्त रहे है, वादीगण का कभी भी कब्जा काश्त नहीं रहा है। वाद पत्र की मद संख्या—चार गलत लिखी होने से अस्वीकार है। खसरा नम्बर — 406/1036, 410/1037 की भुमियों पर वादीगण का कभी भी कब्जा काश्त नहीं रहा है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 के प्रभाव में आने के समय से प्रतिवादी संख्या—3/1 लगाय 3/4 के पश्चात पूर्वहकधारी काबिज काश्त रहे है, उनके स्वर्गवास प्रतिवादी संख्या—3/1 लगायत 3/4 काबिज काश्त है। कृषि भूमि खसरा नम्बर — 406/1036 एवम 410/1037 पर वादीगण का कभी भी कब्जा नहीं रहा है, से ही प्रतिवादी संख्या—3/1 ता 3/4 के पूर्व कधारी ही काबिज काश्त रहे है। प्रतिकूल कब्जे के आधार पर राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत खातेदारी अधिकार नहीं दिये जा सकते है, इसलिए वादीगण का वाद निरस्तनीय है। वादग्रस्त आराजीयात पर प्रारम्भ से ही प्रतिवादीगण के पूर्वजों का कब्जा काश्त रहा है तथा खातेदार रहे है। वादीगण का कभी भी कब काश्त नहीं रहा है, वर्तमान में प्रतिवादी संख्या—3/1 ता 3/4 काबिज काश्त है तथा रिकडेड खातेदार काश्तकार है। प्रतिवादी संख्या—3/1 ता 3/4 के कब्जा काश्त की भूमि खसरा नम्बर—406/1036 व 410/1037 पर वादीगण का कोई मकान बना हुआ नहीं है। इस मद की समस्त ईबारत गलत लिखिी होने से अस्वीकार है। इस मद में वर्णित परिपत्र प्रतिवादी संख्या—3/1 ता 3/4 की भूमियों के सम्बन्ध नहीं है और ना ही इस पर लागू होते है। वादीगण प्रतिवादी संख्या—3/1 ता 3/4 की भूमियों के सम्बन्ध में खातेदारी अधिकार प्राप्त करने के अधिकारी नहीं है। वाद पत्र की मद संख्या—8 गलत लिखी होने से अस्वीकार है। प्रतिवादी संख्या—3/1 ता 3/4 की 02 पत की भूमियो खसरा नम्बर—406/1036, 410/1037 पर वादीगण व वादीगण के पूर्वज कभी भी कब्जा काश्त नहीं रहे। प्रारम्भ से प्रतिवादी संख्या—3/1 ता 3/4 के पूर्व हकधारी व उनके स्वर्गवास के पश्चात प्रतिवादी संख्या—3/1 ता 3/4 काबिज काश्त है। प्रतिवादी

Signature Not Verified
Digitally signed by Suman Choudhary
Date: 2026.01.16 15:19:02 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
आमेर मु. जयपुर

संख्या–3 / 1 ता 3 / 4 अनुसूचित जाति के सदस्य है तथा वादीगण अनुसूचित जन–जाति के सदस्य है, इसलिए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा – 42 – बी के उल्लंघन में खातेदारी घोषित नहीं की जा सकती है, इसलिए वाद पत्र निरस्तनीय है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 के प्रभाव में आने से धारा–3 के अनुसार जयपुर टिनेन्सी एक्ट, 1945 के नियम समाप्त हो गये है तथा वादग्रस्त आराजी से वादीगण का कोई सम्बन्ध व सरोकार नहीं है और ना ही वादीगण का कोई कब्जा काश्त है, इसलिए वाद निरस्तनीय है। वाद पत्र की मद संख्या–10 गलत होने से अस्वीकार है। खसरा नम्बर–406 / 1036 व 410 / 1037 पर वादीगण 8 कोई कब्जा नहीं है और ना ही किसी प्रकार से मकानों का निर्माण करवा रखा है और ना ही किसी प्रकार से कोई रूपया खर्च कर काबिज काश्त बनाया है, समस्त इबारत कल्पना के आधार पर लिखी गयी है। वाद पत्र की मद संख्या– 11 गलत लिखी होने से 11 अस्वीकार है। प्रारम्भ से ही प्रतिवादीगण के पूर्व हकधारियों का कब्जा काश्त रहा है तथा खातेदारी प्रतिवादीगण के पूर्व हकधारियों के नाम चली आ रही है, जिसके समाप्त करवाने का वादीगण को कोई हक व अधिकार नहीं इसलिए वाद पत्र निरस्तनीय है। वाद पत्र की मद संख्या–12 गलत लिखी होने से अस्वीकार है। दिनांक 30 / 09 / 2017 को प्रतिवादी संख्या– 1 लगायत 3 द्वारा वादीगण को कोई एलानियां धमकी नहीं दी गयी समस्त इबारत कल्पना के आधार पर लिखी है। प्रतिवादीगण की भूमि पर वादीगण के मकान बने हुए नहीं है। तो तोड़ने का प्रश्न ही पैदा नहीं होता है। वादीगण ने प्रतिवादी संख्या–1 ता 3 को हैरान व परेशान करने के लिए घोषणा, स्थायी निषेधाज्ञा का वाद प्रस्तुत किया है, जो निरस्तनीय है।

पत्रावली में प्रस्तुत जवाबदावा व प्रस्तुत साक्ष्यों का अध्ययन किया गया तथा निम्नानुसार तनकीयात् कायम की गई।

1. आया वाद डिक्री की जाकर खसरा नम्बर 406 / 1047, 406 / 1036 एक 410 / 1037 वाके ग्राम बैनाड गय दौलतपुरा भूमि का वादीगण को काबिज खातेदार घोषित किया जाकर प्रतिवादी 1 ता 3 का नाम विलोपित किया जावे?

......वादीगण

2. आया खसरा नम्बर 406 / 1047, 406 / 1036 एवं 410 / 1037 भूमियों क नामान्तकरण राजस्व रिकार्ड में बिना कोई आधार के प्रतिवादीगण संख्या ता 3 के पूर्वजों के नाम दर्ज किया गया है जो प्रभाव शुन्य है?

...........वादीगण

3 आया वादीगण विवादित आराजी पर राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के प्रभाव में आने से कब्जा काश्त चला आ रहे है?

........वादीगण

4. आया राज्य सरकार कि अधिसूचना क्रमांक एफ 6 (7) रेव / जी.आर / 4 / 77 दिनांक 14.04.1977 व परिपत्र संख्या–एफ–6 (10) रेव ग्रुप–4 / 77 दिनांक 2304.1977 के द्वारा आवास / घर के नियमन संबंधी निर्देश जारी किये गये है उक्त आधार पर वादीगण खातेदार कृषक घोषित करवाने के अधिकारी हैं

Signature Not Verified
Digitally signed by Suman Choudhary
Date: 2026.01.16 15:19:02 IST
Reason: SelfAttested

.....वादीगण

5. आया वादीगण राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के प्रभाव में आने के पूर्व से ही बहैसियत खातेदार काश्तकार काबिज है तत्समय प्रभावशील जयपु टिनेन्सी एक्ट 1945 की धारा–8 के तहत ही खातेदार हो चुके है?

.......वादीगण

6. आया प्रतिवादी संख्या 3/1 ता 3/4 अनुसूचित जाति के सदस्य है तथा वादीगण अनुसूचित जन–जाति के सदस्य है इसलिए राज. काश्तकारी अधिनियम की धारा–42 की के उल्लंघन में खातेदारी घोषित नहीं की ज सकती?

........प्रतिवादी 3/1 से 3/

7. आया राज. काश्तकारी अधिनियम – 1955 के प्रभाव में आने से धारा–3 अनुसार जयपुर रियासती के नियम समाप्त हो गये है, फलस्वरूप वादीग घोषणा करवाने का अधिकारी नही है?

.......प्रतिवादी 3/1 से 3/4

8. आया वादीगण का कोई कब्जा–काश्त मौके पर नहीं है अतः वाद खारिज होने योग्य है?

........प्रतिवादी 3/1 से 3/4

तदुपरान्त साक्ष्य वादी हेतु वादी पक्ष द्वारा निम्न लिखित साक्ष्य को प्रस्तुत कर परीक्षित करवाये।

1. PW1 बाबूलाल पुत्र भूराराम जाति मीणा, निवासी जैन मंदिर, सरकारी स्कूल के पास, ग्राम बैनाड, झोटवाडा, जयपुर राजस्थान।
2. PW2 सत्यनारायण पुत्र भूराराम जाति मीणा, निवासी जैन मंदिर, सरकारी स्कूल के पास, ग्राम बैनाड, झोटवाडा, जयपुर राजस्थान।
3. PW3 कृष्ण कन्हैया पुत्र भूराराम मीणा, निवासी जैन मंदिर, सरकारी स्कूल के पास, ग्राम बैनाड, झोटवाडा, जयपुर राजस्थान।
4. PW4 कृष्ण सेडूराम पुत्र गंगाराम जाति मीणा निवासी जैन मंदिर सरकारी स्कूल के पास, ग्राम बैनाड, झोटवाड, जयपुर।

दस्तावेजी साक्ष्य में प्रदर्श–1 प्रमाणित प्रतिलिपि जमाबंदी वाके ग्राम बैनाडमयदौलत पुरा पटवार हलका खोराबीसाल संवत् 2070–2073, प्रदर्श–2 असल नक्शा ट्रेस बैनाड मय दौलतपुरा दिनांक 10.10.2017, प्रदर्श–3 भू प्रबंधक पत्रक धारा 112 के नियम 19 क अनुसार, प्रदर्श–4 असल मिलान क्षेत्रफल ग्राम बैनाडमयदौलतपुरा, प्रदर्श–5 असल खतौनी जमाबंदी दिनांक 01.07. 1989 से 30.06.2009 तक, प्रदर्श–6 असल नामान्तकरण पंजिका नामान्तकरण संख्या 224 दिनांक 10,06.1981, प्रदर्श–7 असल नामान्तकरण संख्या 225 दिनांक 10.06.1981, प्रदर्श–8 असल खसरा गिरदावरी दिनांक 2046 से 2049, प्रदर्श–9 असल जमाबंदी संवत 2062 से 2065, प्रदर्श – 10 सर्शत लेखपत्र/इकरारनामा दिनांक 01.12.2017 प्रदर्शित किया गया

साक्ष्य प्रतिवादी हेतु प्रतिवादी पक्ष द्वारा निम्न लिखित साक्ष्य को प्रस्तुत कर परीक्षित करवाये।

1 DW1 महेन्द्र पुत्र स्व. कजोड जाति खटीक, निवासी ग्राम बैनाड, तहसील आमेर जिला जयपुर।

दस्तावेजी साक्ष्य में प्रतिवादी पक्ष द्वारा भूमि [illegible] की संवत 2075–78 की जमाबंदी नकल प्रदर्श– ए–1, प्रदर्श– ए–2 वादीगण का [illegible]लतनामा एवं मिलानक्षेत्रफल, प्रदर्श– ए–3 PW2 सत्यनारायण पुत्र भूरा[illegible] का [illegible] पत्र, प्रदर्श– ए–4 जमाबंदी संवत

सहायक कलक्टर
आमेर मु. जयपुर

Signature Not Verified
Digitally signed by Suman Choudhary
Date: 2026.01.16 16:19:02 IST
Reason: SelfAttested

2058 से 2061 तक ग्राम बैनाड मय दौलतपुरा, प्रदर्श—ए—5 खसरा गिरदावरी, प्रदर्श—ए—6 खसरा गिरदावरी, प्रतिवादीगण ने प्रदर्शित करवाया।

वादीगण की ओर लिखित बहस प्रस्तुत कर संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि वाके ग्राम बैनाडमय दौलतपुरा पटवार हल्का खोराबीसल भू. अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र हरमाडा तहसील व जिला जयपुर मिशन संख्या—1 सरकारी भूमि स्थित आराजी खसरा नम्बर 504 रकबा पर वादीगण आंवटन के समय से काबिज काश्त चले आ रहे थे। बीघा बंजड द्वितीय भूमि तत्पश्चात् खसरा नम्बर 504 रकबा 5 बीघा भूमि भूरा पुत्र गंगाराम के नाम आंवटित की गई एवं खसरा नम्बर 504 गंगाराम पुत्र बलदेव जाति मीणा के से ही 5 बीघा भूमि आंवटित की गई। तत्पश्चात नामान्तकरण संख्या 224 दिनांक 10.06.1991 के जरिये खसरा नम्बर 504/6 रकबा 5 बीघा भूमि भूरा पुत्र गंगाराम के नाम गैर खातेदारी से खातेदारी स्वीकार कर दी गई एवं नामान्तकरण संख्या 225 दिनांक 10.06.1981 के जरिये खसरा नम्बर 504/5 रकबा 5 बीघा भूमि गंगाराम पुत्र बलदेव जाति मीणा के गैर खातेदारी खातेदारी स्वीकार की गई। खसरा नम्बर 504 में शेष रही 26 बीघा भूमि पर भी वादीगण के पिता / दादा एवं वादीगण कब्जे काश्त रहे एवं नियमित रूप से उक्त भूमि पर काश्त कर अपने परिवार का पालन—पोषण करते चले आ रहे है। साबिक खसरा नम्बर 504/5 के हाल खसरा नम्बर 406 रकबा 85 ऐयर एवं खसरा नम्बर 410 रकबा 40 ऐयर भूमि कायमं किये गये एवं साबिक खसरा नम्बर 504/6 के हाल खसरा नम्बर 417/1062 कायम किये गये, जो वादीगण के नाम राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज व अमल कर दिये गये, लेकिन शेष रही 26 बीघा भूमि में खसरा नम्बर 406/1036, 406/1037 एवं 410/1037 भूमि कायम की गई, जिसका कब्जा भी वादीगण/प्रार्थीगण के पास निरन्तर चला आ रहा है। वादी द्वारा खातेदारी अधिकार घोषणा एवं स्थायी निषेधाज्ञा का वाद प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वादीगण के कब्जे काश्त की खसरा नम्बर 406/1036, 406/1031, 410/1037 भूमि पर वादीगण का रास्ता काश्तकारी अधिनियम 1955 के प्रभाव में आने के समय से कब्जा काश्त चला आ रहा है इस प्रकार वादीगण को प्रतिकूल कब्जे के सिद्धांत के आधार पर खातेदारी काश्तकारी अधिकार प्राप्त है। प्रतिवादीगण के पूर्वजों बिना कब्जे के आधार पर उक्त भूमि का आंवटन तस्दीक किया गया। वर्तमान में भी उक्त भूमि पर वादीगण कब्जे काश्त चले आ रहे है। वादीगण द्वारा माननीय न्यायालय के समक्ष पीडब्ल्यू—1 बाबूलाल, पीडब्ल्यू—2 सत्यनारायण पीडब्ल्यू—3 कृष्ण कन्हैया, पीडब्ल्यू—4 सेडूराम साक्ष्य शपथ पत्र अन्तर्गत आदेश 18 नियम 4 व्यवहार प्रक्रिया संहिता प्रस्तुत कर उल्लेखित किया है कि उपरोक्त वर्णित अराजियात भूमि पर वादीगण का कब्जा नियमित रूप से चला आ रहा है। वादीगण द्वारा दावे के समर्थन में प्रदर्श—1 प्रमाणित प्रतिलिपि जमाबंदी वाके ग्राम बैनाडमयदौलतपुरा पटवार हल्का खोराबीसल संवत् 2070—2073, प्रदर्श—2 असल नक्शा ट्रेस बैनाड मय दौलतपुरा दिनांक 10.10.2017, प्रदर्श—3 भ प्रबंधक पुस्तक धारा 112 के नियम 19 क अनुसार, प्रदर्श—4 असल मिलान क्षेत्रफल ग्राम

Signature Not Verified
Digitally signed by Suman Choudhary
Date: 2026.01.16 16:19:02 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
आमेर मु. जयपुर

नाहगरदौलतपुरा, प्रदर्श–5 असल खतौनी जमाबंदी दिनांक 01.07. 1989 से 30.06.2009 तक, दर्श–6 असल नामान्तकरण पंजिका नामान्तकरण संख्या 224 दिनांक 10,06.1981, प्रदर्श–7 असल नामान्तकरण संख्या 225 दिनांक 10.06.1981, प्रदर्श–8 असल खसरा गिरदावरी दिनांक 2046 से 2049, प्रदर्श–9 असल जमाबंदी संवत 2062 से 2065 श्रीमान के समक्ष प्रस्तुत किये है। जिससे यह स्पष्ट होता है कि उपरोक्त वर्णित अराजियात भूमि वादीगण के काबिज काश्त में है एवं आंवटन के समय से ही वादीगण काश्त कर रहे है। यह कि उपरोक्त वर्णित भूमि के संबंध में महेन्द्र घनश्याम पिता श्री कजोड प्रभाती देवी पत्नी कजोड़, निवासी खटीकों मोहल्ला ग्राम नींदड तहसील आमेर एवं श्रीमती निर्मला देवी पत्री स्व श्री कजोड धर्मपत्नी श्री जितेन्द्र जाति खटीक, निवासी जवाहर नगर जयपुर द्वारा जरिये विक्रय इकरारनामा दिनांक 02.008. 2017 द्वारा श्री कालूराम पुत्र सत्यनारायण एवं मुकेश कुमार मौर्य पुत्र स्व. श्री मालीराम मौर्य जाति रेगर, निवासी अम्बेडकर कॉलोनी हरमाडा घाटी जयपुर के हक में विक्रय करना उल्लेखित किया है जबकि एस. टी. अनुसूचित जनजाति के संदस्य द्वारा अनुसूचित जाति के व्यक्ति को विक्रय पत्र नहीं करवाया जा सकता है। उक्त भूमि पर आज भी कालूराम पुत्र श्री वादीगण कब्जा काश्त चले आ रहे है। यह कि एक सशर्त लेख पत्र इकरारनामा सत्यनारायण मुकेश मौर्य पुत्र मालीराम जाति रैगर निवासी अम्बेडकर कॉलोनी, उदयपुरिया घाटी हरमाडा, जयपुर एवं गैरत गृह निर्माण वर्णित अराजियात भूमि का कब्जा सहकारी समिति द्वारा वादीगण के पक्ष में लिखा गया है कि उपरोक्त है। उक्त कब्जे का खाली करने के संबंध में एक इकरारनामा लिखा गया एवं वादीगण के पास में कुछ हिस्र हिस्सा भूमि वादीगण द्वारा दस्तावेज माननीय न्यायालय के प्रतिवादीगण को सुपुर्द की गई उक्त समक्ष साक्ष्य में प्रस्तुत किये गये है। जिन तथ्यों से भी स्पष्ट होता है कि उपरोक्त वर्णित अराजियात में वादीगण के कब्जे काश्त में रही है एवं उपरोक्त वर्णित भूमि पर अपने पर्वजों के संमय से ही काश्त करते चले आ रहे है। खसरा गिरदावरियों में वादीगण का कब्जा काश्त दर्ज है। राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर यह अधिसूचना एवं परिपत्र जारी कर सरकारी भूमियों पर किये गये अतिक्रमण को नियमित किये जाने के निर्देश दिये गये है। राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक – एफ. – 6 (7) रेव. / जी.आर / 4/77 दिनांक 14.04.1977 के द्वारा सरकारी भूमि पर कृषि परियोजनार्थ दिनांक 01.07.1975 तक किये गय अतिक्रमणों को नियमित किये जाने के आदेश प्रसारित किये गये है तथा परिपत्र संख्या–एफ.6 (10) राज. / ग्रुप–4 / 77 दिनांक 23. 04.1977 के द्वारा ग्रामीण क्षेत्र में सरकारी भूमि तथा गैर मुमकिन भूमि पर दिनांक 01.07.1975 आवास बाड़े के रूप में किये गये सभी अतिक्रमियों के नियमन संबंधित निर्देश जारी किये गये है, विवादित भूमि पर वादीगण का कब्जा काश्त चला आ रहा है, इसी आधार पर वादीगण को खातेदार कृषक घोषित किया जाना आवश्यक है। जागीरपुर्नग्रहण अधिनियम के प्रावधानों अनुरूप उपरोक्त वर्णित भूमि पर खातेदार काश्तकार की हैसियत से शामिल होने के कारण स्वतः ही खातेदार काश्तकार हो गये तथा विवादित भूमि में कानूनन

Signature Not Verified
Digitally signed by Suman Choudhary
Date: 2026.01.16 16:19:02 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
आमेर मु. जयपुर

सभी प्रकार के हक, हक्क खातेदारी वादीगण के पक्ष में निहित हो गये एवं जयपुर टिनेन्सी वादीगण कब्जे काश्त की एक्ट 1945 की धारा 8 के तहत भूमि पर काबिज हो चुके है। दिनांक 30.09.2017 को प्रतिवादी संख्या—1 लगायत 3 ने प्रार्थीगण / वादीगण ऐलानिया धमकी दी की वह प्रार्थीगण / वादीगण के कदीमी पुख्ता रिहायशी मकानों को ध्वस्त कर देंगे एवं उक्त विवादग्रस्त आराजीयात् पर कब्जा कर लेंगे। जिसके कारण प्रार्थीगण / वादीगण को दावा दायर कर वादग्रस्त भूमि से अपने निहित हक व अधिकार की घोषणा कराना आवश्यक हुआ तथा अप्रार्थी संख्या—1 लगायत 3 द्वारा वादीगण को अवैध रूप से बेदखल करने व पुख्ता रिहायशी मकानों को ध्वस्त करने की धमकी देने के कारण वाद बाबत खातेदारी अधिकार घोषणा स्थायी निषेधाज्ञा अतः लिखित बहस प्रस्तुत कर निवेदन है कि वाद वादीगण विरुद्ध प्रतिवादी बाबत घोषणा डिकी फरमाया जाकर घोषणा की डिकी बहक वादी इस आशय की सादिर फरमायी जाते कि गाम बैनाडमय दौलतपुरा पटवार हलका खोराबिसल भू. अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र हरमाडा तहसील आमेर जिला जयपुर खसरा नम्बर 1047, खसरा नम्बर 406/1036 एवं 410/1037 भूमियों काबिज खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे एवं उक्त भूमियों से प्रतिवादी संख्या—1 लगायत 3 का नाम विलोपित किया जावें। दावा वादीगण विरुद्ध प्रतिवादी बाबत स्थायी निषेधाज्ञा डिकी फरमाया जाकर प्रतिवादी संख्या—1 लगायत 3 को शाश्वत स्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद फरमाया जावे कि ग्राम बैनाड मय दौलतपुरा पटवार हलका खोराबिसल भू.अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र हरमाडा तहसील आमेर जिला जयपुर खसरा नम्बर 406 / 1047, खसरा नम्बर 406/1036 एवं 410/1037 भुमियो जो वादीगण के कब्जे व उपयोग उपभोग में किसी प्रकार की दखल न करे न जबरन बेदखल करने की कार्यवाही करे न ही वादीगण के विद्यमान पुख्ता निर्माण को ध्वस्त करने की चेष्टा करें। ना ह उक्त भूमि का बेचान, रहन, बख्शीश करे एवं ना ही अन्य किसी प्रकार से भूमि का हस्तानान्तरण आदि करे, ऐसा ना तो स्वय करे ना ही अपने एजेन्ट सर्वेन्ट माननीय न्यायालय वादीगण के या वर्कमैन से करावे। अन्य कोई आदेश पक्ष में समझे वह भी फरमायें।

प्रतिवादी संख्या—3/1 लगायत 3/4 की ओर से लिखित बहस सविनय प्रस्तुत कर अंकित किया कि वादीगण द्वारा दिनांक 21/08/2025 को वाद पत्र में गलत व झुंठे तथ्यों के आधार पर लिखित बहस प्रस्तुत की है। वादीगण द्वारा आराजी खसरा नम्बर — 504 रकवा 36 बीघा वजंड द्वितीय वाके ग्राम बैनाड दौलतपुरा पटवार हल्का खोरा बिसल, भू—अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र हरमाडा, तहसील — जयपुर (आमेर), जिला— जयपुर की जमाबन्दी प्रस्तुत नहीं की है ओर ना ही आराजी खसरा नम्बर 504 रकबा 36 बीघा की जमाबन्दी को प्रदर्शित करवाया गया है, इसलिये वादीगण का मूल आधार आराजी खसरा नम्बर—504 रकबा 36 बीघा की जमाबन्दी हैं, जो वादीगण द्वारा पत्रावली में प्रस्तुत नहीं की है, जिसके अभाव में वाद पत्र निरस्त किये जाने योग्य है। वादीगण द्वारा खसरा नम्बर — 504 रकबा 36 बीघासे सम्बन्धित गिरदावरिया जिसमें वादीगण का कब्जा काश्त है। न्यायालय की पत्रावली प्रस्तुत

Signature Not Verified
Digitally signed by Suman Choudhary
Date: 2026.01.16 16:19:02 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलेक्टर आमेर प्र. जयपुर

नहीं की है। वादीगण के द्वारा खसरा नम्बर–504 रकबा 36 बीघा की भूमि पर कब्जा काश्त साबित नहीं किया गया है। वादीगण द्वारा लिखित बहस की मद संख्या–2 गलत लिखी होने से अस्वीकार है। खसरा नम्बर – 504 में शेष रही 26 बीघा भूमि पर वादीगण के पिता / दादा एवम् वादीगण कब्जा काश्त से सम्बन्धत कोई भी दस्तावेज न्यायालय की पत्रावली पर पेश नहीं किया है, इसलिए कब्जा काश्त से सम्बन्धित दस्तावेज के अभाव में वाद पत्र निरस्त किये जाने योग्य है। संख्या–3 वादीगण द्वारा गलत की है वादीगण के द्वारा खसरा नम्बर–504 रकबा 36 बीघा की भूमि पर कब्जा काश्त साबित नहीं किया गया है। वादीगण द्वारा लिखित बहस की मद संख्या–2 गलत लिखी होने से अस्वीकार है। खसरा नम्बर – 504 में शेष रही 26 बीघा भूमि पर वादीगण के पिता / दादा एवम् वादीगण कब्जा काश्त से सम्बन्धित कोई भी दस्तावेज न्यायालय की पत्रावली पर पेश नहीं किया है, इसलिए कब्जा काश्त से सम्बन्धित दस्तावेज के अभाव में वाद पत्र निरस्त किये जाने योग्य है। लिखित बहस की लिखी होने से अस्वीकार है। साबिक आराजी खसरा नम्बर–504 खसरा नम्बर – 504 / 5 रकबा 5 बीघा व खसरा नम्बर – 504 / 6 रकबा 5 बीघा वादीगण के पूर्वहक धारियों को अलॉट की गयी थी, खसरा नमबर–504 / 5 रकबा 5 बीघा के नवीन खसरा नम्बर – 406 रकबा 0.85 हैक्टेयर व खसरा नम्बर–410 रकबा 0.40 हेक्टेयर कुल किता–2 कुल रकबा 1.25 हैक्टेयर बनाये गये है, जो गत रकबा के अनुसार ही दर्ज किये गये है तथा खसरा नम्बर – 504 / 6 रकबा 5 बीघा के हाल खसरा नम्बर–417 / 1062 रकबा 1.26 हैक्टेयर है, जो गत रकबा के अनुसार ही दर्ज है, जिसमें किसी प्रकार की कमी–बेशी नहीं है। वादीगण का यह कथन की शेष रही 26 बी में खसरा नम्बर–406 / 1036, 406 / 1037 एवम् 410 / 1037 भूमि कायम की गयी है सरासर गलत कथन अकित किया गया है। हाल खसरा नम्बर – 406 / 1036, 405 / 1035 410 / 1037 गत नम्बर – 508 / 4 से बनाये गये है जो प्रतिवादीगण की भूमि है, मिलान क्षेत्रफल प्रदर्श ए–2 से स्पष्ट है। वादीगण के वाद पत्र में उल्लेखित साबिक खसरा नम्बर–504, रकबा 36 बीघा के हाल खसरा नम्बर–406 रकबा हैक्टेयर, खसरा नम्बर–407 रकबा 1.25 हेक्टेयर, खसरा नम्बर–410 रकबा 0.40 हैक्टेयर, खसरा नम्बर–411 रकबा [illegible] हैक्टेयर, खसरा नम्बर–415 रकबा 0.56 हैक्टेयर, खसरा नम्बर – 417 रकबा 0.48 हैक्टेयर, खसरा नम्बर–418 रकबा 0.05 हैक्टेयर के खसरा नम्बर–419 रकबा 0.86 हैक्टेयर, खसरा नम्बर–420 रकबा 7.56 हैक्टेयर बनाये गये है यो मिलान क्षेत्रफल प्रदर्श–4 से स्पष्ट है। इस प्रकार हाल खसरा नम्बर – 406 / 1036, 405 / 1035, 410 / 1037 से वादी कोई सम्बन्ध व सरोकार नहीं है। साबिक खसरा नम्बर–508 रकबा 28 बीघा 5 बिस्वा है, जो प्रदर्श ए–1 से साबित है। खसरा नम्बर–508 रकबा 28 बीघा 5 बिस्वा में से 8 बीघा भूमि प्रतिवादी संख्या– 1/1 ता 1/4 के पूर्वहकधारी भूरा पुत्र छीतूराम, जाति–रैगर को कदीमी काश्त के आधार आवंटित की गयी थी, रकबा 8 बीघा तरमीम किया गया, जिसका खसरा नम्बर – 508 / 4 जो गिरदावरी प्रदर्श ए–4, ए–5, ए– 6 व ए–3 से साबित है तथा जमाबन्दी

सहायक कलक्टर
जाने. द्वि. जयपुर

Signature Not Verified
Digitally signed by Suman Choudhary
Date: 2026.01.16 16:19:02 IST
Reason: SelfAttested

प्रदर्श ए–4 भी प्रतिवादी के पूर्वज के नाम अंकित है। इस प्रकार साबिक खसरा नम्बर – 504 रकबा 36 बीघा का है तथा बीघा 5 बिस्वा का है, जो साबिक खसरा नम्बर–508 रकबा 28 अलग–अलग खसरा नम्बर है तथा वादीगण के पूर्वजों को साबिक खसरा नम्बर–504 में से भूमि अलॉट हुई तथा प्रतिवादी के पूर्व हकधारी को साबिक खसरा नम्बर–508 में से भूमि अलॉट हुई है तथा साबिक खसरा नमबर–504 के तरमीमी खसरा नम्बर – 504, 504 / 1, 504 / 2, 504 / 3, 504 / 5, 504 / 6 बनाये गये है तथा इनके हाल खसरा नम्बर – 402, 406, 407, 410, 411, 415, 417, 418, 419, 420, 417 / 1062 बनाये गये है तथा साबिक खसरा नम्बर – 508 के तरमीमी नम्बर–508, 508 / 1, 508 / 2, 508 / 3, 5084, 508 / 5, 508 / 6, 508 / 7, 508 / 8 बनाये गये है, जिसके हाल खसरा नम्बर इस प्रकार है :– खसरा नमबर – 401, 403, 404, 405 403 / 1033, 404 / 1034, 405 / 1035, 406 / 1036, 410 / 1037, 420 / 1038, 429 / 1039, 423 / 1040, 406 / 1044, 421, 443 बनाये गये हैं। इस प्रकार साबिक खसरा नम्बर–508 की भूमि पर वादीगण का किसी भी प्रकार से कब्जा नहीं रहा है, इसलिए वादीगण का वाद निरस्त किये जाने योग्य है। वादीगण द्वारा प्रस्तुत लिखित कथन की मद संख्या–4 गलत लिखी होने से अस्वीकार है। खसरा नम्बर–406 / 1036, 406 / 1037, 410 / 1037 पर वादीगण का कभी भी कब्जा काश्त नहीं रहा है। खसरा नम्बर – 406 / 1037 नाम का कोई खसरा नम्बर ही नहीं है, समस्त तथ्य गलत लिखे गये है तथा वादीगण द्वारा खसरा नम्बर–406 / 1036, 406 / 1037, 410 / 1037 के कब्जा काश्त की कोई गिरदावरी या कब्जे का कोई दस्तावेज पत्रावली पर पेश नहीं किया है तथा वादीगण ने अपना कब्जा होने साबित नहीं किया है, इसलिए कब्जा के अभाव में वाद पत्र निरस्तनीय हैं। वादीगण के गवाह पी.डब्ल्यू–1 बाबूलाल, पी.डब्ल्यू – 2 सत्यनारायण, पी.डब्ल्यू–3 कृष्ण कन्हैया, पी.डब्ल्यू–4 से राम के साक्ष्य क शपथ पत्र किये गये। गवाह पी.डब्ल्यू – 2 सत्यनारायण ने अपनी जिरह में स्वीकार किया है कि प्रदर्श ए–1 वाद पत्र पर केवल बाबूलाल की अंगूठा निशानी है, जिसके सम्बन्ध में कहा है कि बाबुलाल का अंगूठा नहीं है, मेरा है, शपथ पत्र पर भी अपना अंगूठा बता । है, जबकि वाद पत्र के साथ शपथ पत्र बाबूलाल का तथा खसरा नम्बर–504 रकबा 36 बीघा की जमाबन्दी न्यायालय में पेश नहीं की है। "यह कहना सही है कि मिलान क्षेत्रफल प्रदर्श–4 के अनुसार गत खसरा नम्बर–5084 से हाल खसरा नम्बर–405 / 1035, 406 / 1036 410 / 1037 बनाये गये है, खसरा नम्बर – 504 रकबा 36 बीघा के अलावा ओर किसी खसरा नम्बरान की भूमि पर कब्जा नहीं है, [illegible] कहना सही है कि पैरा संख्या–6 में उल्लेखित अधिसूचना पत्रावली में पेश नहीं है, [illegible]वा[illegible]ण ने मझे कौन से साल में धमकी दी मुझे याद नहीं है, विनाय दावा [illegible] नहीं [illegible] है। गवाह पी. डब्ल्यू–3 ने अपनी जिरह में स्वीकार किया है कि "यह कहना सही है कि [illegible] खसरा नम्बर मिलान क्षेत्रफल के मुताबिक गत खसरा नम्बर – 508 / 4 से हाल ख[illegible]रा नम्बर – 405 / 1035, 406 / 1036, 410 / 1037, 420 / 1038, 429 / 1039, 423 / 1040 इत्यादि बनाये गये है। मैं यह नहीं बता

Signature Not Verified
Digitally signed by Suman Choudhary
Date: 2026.01.16 15:19:02 IST
Reason: SelfAttested

सकता कि गत खसरा नम्बर–504/5, 504/6 से हाल खसरा नम्बर – 406, 410, 417/1082 बनाये गये हो। इस प्रकार वादीगण के गवाहों ने जिरह में प्रतिवादीण के कथनों को साबित किया है, इसलिए वाद पत्र निरस्तनीय है। प्रतिवादी के गवाह डी. डब्ल्यू. महेन्द्र ने अपने बयान से जवाब दावा में उल्लेखित कथनों को सावित किया है। वादीगण द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज प्रदर्श – 1 जमाबन्दी, प्रदर्श–2 नक्शा ट्रेस, प्रदर्श–3, प्रदर्श–4, प्रदर्श–5, प्रदर्श 6, प्रदर्श–7, प्रदर्श–8, प्रदर्श–9 से यह सावित नहीं किया है कि साबिक खसरा नम्बर–504 की शेष भूमि रकबा 26 बीघा पर वादीगण का कब्जा काश्त रहा हो। ऐसा कोई दस्तावेज प्रस्तत नहीं किया गया है। वादी गवाह ने प्रदर्श–1 लगायत 9 सम्बन्ध में नही तथ्य बताया है, जबकि प्रतिवादीगण द्वारा प्रदर्श ए–1, प्रदर्श ए–2, प्रदर्श ए–3, प्रदर्श ए–4, प्रदर्श ए–5, प्रदर्श ए–6 से साबित किया है कि वादग्रस्त भूमि खसरा नम्बर–406/1036, 406/1037, 410/1037 से वादीगण कोई सम्बन्ध व सरोकार नहीं है और ना ही वादीगण का कभी कब्जा बल्कि आवंटन के पूर्व से प्रतिवादीगण के पूर्व हक काश्त धारियों का कब्जा काश्त इसलिए वादीगण का वाद पत्र खारिज योग्य है। रहा है तथा वर्तमान में कब्जा काश्त है। वादीगण द्वारा लिखित बहस की मद संख्या–7 गलत लिखी होने से अस्वीकार है। विक्रय इकरारनामा दिनांक 02/08/2017 का वर्णन वाद पत्र में कहीं नहीं है ओर विक्रय इकरारनामा दिनांक 02/08/2017 वाद पत्र की विषय वस्तु नहीं है तथा विक्रय इकरारनामा दिनांक 02/08/2017 पूर्ण मुद्रांकित व रजिस्टर्ड दस्तावेज नहीं है, जो साक्ष्य में ग्राह्य नहीं है तथा इकरारनामा के आधार पर राजस्व न्यायालय को घोषणा का वाद राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा – 88 के तहत खातेदार घोषित करने का क्षेत्राधिकार भी प्राप्त नहीं है, इसलिए वाद पत्र निरस्तनीय है। वादीगण द्वारा लिखित बहस की मद संख्या–8 गलत लिखी होने से अस्वीकार है। इकरारनामा दिनांक 01/10/2017 (1) कालूराम पुत्र सत्यनारायण जाति रैगर, (2) मुकेश मौर्य पुत्र निर्माण सहकारी समिति स्वर्गीय मालीराम मौर्य, (3) भैरव लिमिटेड, रजि० नं. 3122/ एल जरिये संयोजक राजेन्द्र प्रसाद शर्मा तथा बाबूलाल, सत्यनारायण, कृष्ण कन्हैयालाल, सेडूराम, जिससे प्रतिवादीगण का कोई मुकेश के मध्य लिखा गया सम्बन्ध व सरोकार नहीं है तथा प्रतिवादीगण की भूमि के सम्बन्ध में तथाकथित इकरारनामा करने का कोई अधिकार प्राप्त नहीं है इसलिए इकरारनामा प्रतिवादीगण के हक व अधिकारों के प्रति शून्य दस्तावेज है, जिससे वादीगण को कानून में किसी प्रकार के धिकार नहीं मिलते है और इकरारनामा में प्रतिवादीगण पक्षकार नहीं है, इसलिए प्रतिवादीगण इकरारनामा से प्रतिबन्धित भी नहीं है और ना ही यह उनका का दस्तावेज है, इसलिए वाद पत्र निरस्तनीय है।

हमने विद्वान अधिवक्तागण वादी एवं प्रतिवादीगण की लिखित बहस पर मनन किया। प्रस्तुत न्यायिक दृष्टान्त तथा प्रतिवादीगण के जवाब दावा पर मनन किया। पत्रावली व प्रस्तुत साक्ष्यों का अध्ययन किया गया तथा तनकीयात् निम्नानुसार निर्णित की जाती है :–

Signature Not Verified
Digitally signed by Suman Choudhary
Date: 2026.01.16 16:19:02 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
आमेर, जयपुर

तनकी संख्या 1:– आया वाद डिक्री की जाकर खसरा नम्बर 406/1047, 406/1036 एक 410/1037 वाके ग्राम बैनाड मय दौलतपुरा भूमि का वादीगण को काबिज खातेदार घोषित किया जाकर प्रतिवादी 1 ता 3 का नाम विलोपित किया जावे?

......वादीगण

तनकी संख्या 2:– आया खसरा नम्बर 406/1047, 406/1036 एवं 410/1037 भूमियों क नामान्तकरण राजस्व रिकार्ड में बिना कोई आधार के प्रतिवादीगण संख्या ता 3 के पूर्वजों के नाम दर्ज किया गया है जो प्रभाव शुन्य है?

...........वादीगण

तनकी संख्या 3:–आया वादीगण विवादित आराजी पर राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के प्रभाव में आने से कब्जा काश्त चला आ रहे है?

........वादीगण

तनकी संख्या 5:–आया वादीगण राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के प्रभाव में आने के पूर्व से ही बहैसियत खातेदार काश्तकार काबिज है तत्समय प्रभावशील जयपु टिनेन्सी एक्ट 1945 की धारा–8 के तहत ही खातेदार हो चुके है?

.......वादीगण

तनकी संख्या 8:–आया वादीगण का कोई कब्जा–काश्त मौके पर नहीं है अतः वाद खारिज होने योग्य है?

........प्रतिवादी 3/1 से 3/4

तनकी संख्या 1, 2, 3, 5 एवं 8 (स्वामित्व, कब्जा और रिकॉर्ड शुद्धि), चूंकि ये सभी तनकीयात (Issue) वादीगण के कब्जे, भूमि की पहचान और स्वत्व (Title) से संबंधित हैं, अतः इनका विवेचन एक साथ किया जा रहा है। **साक्ष्य विश्लेषणः** वादीगण की ओर से पीडब्ल्यू–1 बाबूलाल, पीडब्ल्यू–2 सत्यनारायण आदि परीक्षित हुए। उन्होंने मुख्य परीक्षा में शपथ पत्र पर कहा कि वे खसरा नं. 504 की शेष भूमि पर काबिज हैं। परन्तु, प्रतिवादीगण की ओर से प्रस्तुत दस्तावेजी साक्ष्य और जिरह (Cross Examination) में आए तथ्य इसके विपरीत हैं। **भूमि की पहचान (Identity of Land):** वादीगण का पूरा दावा इस आधार पर टिका है कि विवादित नए नम्बरान पुराने खसरा नं. 504 से बने हैं। खपजमत्रेजंतज,किन्तु पत्रावली पर उपलब्ध प्रदर्श–4 (मिलान क्षेत्रफल) और प्रतिवादी द्वारा प्रस्तुत प्रदर्श ए–2 (मिलान क्षेत्रफल) का अवलोकन करने पर स्थिति स्पष्ट होती है। रिकॉर्ड के अनुसार, साबिक खसरा नं. 504 से नए खसरा नं. 402, 406, 407, 410 आदि बने हैं। परन्तु, विवादित खसरा नम्बरान (विशेषकर 406/1036, 410/1037, 405/1035) का उद्‌भव साबिक खसरा नं. 508 से हुआ है। साबिक खसरा नं. 508 प्रतिवादीगण के पूर्वजों (भूरा, कजोड़ आदि) की खातेदारी भूमि रही है। **गवाहों का विरोधाभासः** वादी गवाह पीडब्ल्यू–2 सत्यनारायण ने अपनी जिरह में महत्वपूर्ण स्वीकारोक्ति की है। उसने स्वीकार किया कि *"यह कहना सही है कि मिलान क्षेत्रफल प्रदर्श–4 के अनुसार गत खसरा नम्बर 508/4 से हाल खसरा नम्बर 405/1035, 406/1036, 410/1037 बनाये गये हैं"*। गवाह ने यह भी माना कि खसरा 504 के अलावा उनका किसी अन्य नम्बर पर कब्जा नहीं है। इसी प्रकार पीडब्ल्यू–3 कृष्ण कन्हैया ने भी जिरह में स्वीकार किया कि मिलान क्षेत्रफल के मुताबिक विवादित नम्बर खसरा 508/4 से बने हैं। **कब्जे का अभावः** वादीगण ने अपने कब्जे के समर्थन में खसरा नं. 504 (रकबा 36 बीघा) की कोई पुरानी जमाबंदी या

Signature Not Verified
Digitally signed by Suman Choudhary
Date: 2026.01.16 16:19:02 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
जानेर मु0 जयपुर

गिरदावरी पेश नहीं की है, जिस पर प्रतिवादीगण ने आपत्ति दर्ज की है। इसके विपरीत, प्रतिवादीगण ने प्रदर्श ए–5 व ए–6 (खसरा गिरदावरी) प्रस्तुत की हैं, जिनमें प्रतिवादीगण का नाम बतौर काश्तकार और खातेदार निरंतर दर्ज है। राजस्व रिकॉर्ड में प्रविष्टि का उपधारणात्मक मूल्य (Presumptive Value) होता है जब तक कि उसे गलत साबित न किया जाए। वादीगण यह साबित करने में विफल रहे हैं कि प्रतिवादीगण का नाम गलत दर्ज हुआ है। **निष्कर्षः** दस्तावेजी साक्ष्य (मिलान क्षेत्रफल) से यह सिद्ध है कि विवादित भूमि साबिक खसरा 508 का भाग है जो प्रतिवादीगण की है, न कि खसरा 504 की। अतः वादीगण का कब्जा और स्वत्व प्रमाणित नहीं होता। अतः तनकी संख्या 1, 2, 3, 5 वादीगण के विरुद्ध एवं तनकी संख्या 8 प्रतिवादीगण के पक्ष में निर्णीत की जाती है।

तनकी संख्या 6:– आया प्रतिवादी संख्या 3/1 ता 3/4 अनुसूचित जाति के सदस्य है तथा वादीगण अनुसूचित जन–जाति के सदस्य है इसलिए राज, काश्तकारी अधिनियम की धारा–42 बी के उल्लंघन में खातेदारी घोषित नहीं की ज सकती?

........प्रतिवादी 3/1 से 3/

तनकी संख्या 6 (धारा 42–बी, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम): यह एक विधिक प्रश्न है। पत्रावली पर उपलब्ध रिकॉर्ड के अनुसार, प्रतिवादीगण (बरजी देवी, कजोड़ वारिसान आदि) जाति रैगर व खटीक के हैं जो कि अनुसूचित जाति (Scheduled Caste) की श्रेणी में आते हैं। वादीगण (बाबूलाल आदि) जाति मीणा के हैं जो अनुसूचित जनजाति (Scheduled Tribe) की श्रेणी में आते हैं। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 42 स्पष्ट रूप से प्रतिबंधित करती है कि अनुसूचित जाति के व्यक्ति की भूमि का विक्रय, उपहार या किसी भी प्रकार का अंतरण ऐसे व्यक्ति के पक्ष में नहीं हो सकता जो अनुसूचित जाति का न हो। वादीगण ने एक इकरारनामा दिनांक 02.08.2017 का हवाला दिया है, परन्तु विधि की दृष्टि में अनुसूचित जाति की भूमि पर अनुसूचित जनजाति के व्यक्ति को न तो प्रतिकूल कब्जे (Adverse Possession) के आधार पर और न ही इकरारनामे के आधार पर खातेदारी अधिकार मिल सकते हैं। यह कानूनन वर्जित (Barred by Law) है। अतः यह तनकी प्रतिवादीगण के पक्ष में निर्णीत की जाती है।

तनकी संख्या 4:– आया राज्य सरकार कि अधिसूचना क्रमांक एक–6 (7) रेव / जी.आर /4/77 दिनांक 14.04.1977 व परिपत्र संख्या–एफ–6 (10) राज / ग्रुप–4/77 दिनांक 2304.1977 के द्वारा आवास / घर के नियमन संबंधी निर्देश जारी किये गये है उक्त आधार पर वादीगण खातेदार कृषक घोषित करवाने के अधिकारी है?

.....वादीगण

तनकी संख्या 4 को साबित करने का भार वादीगण पर है वादीगण ने राज्य सरकार की अधिसूचना दिनांक 14.04.1977 व परिपत्र 23.04.1977 का सहारा लिया है। न्यायालय का मत है कि उक्त अधिसूचनाएं सरकारी (सिवाय चक) भूमि पर कृषि प्रयोजनार्थ किए गए अतिक्रमणों को नियमित करने हेतु थीं। हस्तगत प्रकरण में, यह सिद्ध हो चुका है कि विवादित भूमि 'सरकारी' न होकर प्रतिवादीगण की 'खातेदारी' भूमि है (खसरा नं. 508 से उद्भूत)।

Signature Not Verified
Digitally signed by Suman Choudhary
Date: 2026.01.16 19:19:02 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
आमेर, जयपुर

निजी खातेदारी भूमि पर सरकारी अधिसूचनाओं के तहत अतिक्रमण के नियमन का प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता। साथ ही, वादीगण ने ऐसा कोई ठोस सबूत पेश नहीं किया कि वे 1955 या 1975 से पूर्व इस विशिष्ट भूमि पर काबिज थे। अतः यह तनकी वादीगण के विरुद्ध निर्णीत की जाती है।

तनकी संख्या 7:– आया राज. काश्तकारी अधिनियम – 1955 के प्रभाव में आने से धारा–3 अनुसार जयपुर टिनेन्सी के नियम समाप्त हो गये हैं, फलस्वरूप वादीग घोषणा करवाने का अधिकारी नही है? ....प्रतिवादी 3/1 से 3/4

तनकी संख्या 7 को साबित करने का भार प्रतिवादीगण पर था। चूंकि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 के लागू होने के साथ ही पुराने कानून (जयपुर टिनेन्सी एक्ट 1945) निरस्त हो चुके हैं और धारा 3 के तहत नई व्यवस्था लागू है, इसलिए वादीगण पुराने कानून की धारा 8 का लाभ प्राप्त करने के अधिकारी नहीं हैं। अतः यह तनकी वादीगण के विरुद्ध निर्णीत की जाती है।

:: आदेश (ORDER) ::

उपर्युक्त विस्तृत विवेचन एवं साक्ष्यों के विश्लेषण के आधार पर, न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुँचता है कि वादीगण अपने वाद को साबित करने में पूर्णतः असफल रहे हैं। पत्रावली पर उपलब्ध 'मिलान क्षेत्रफल' (प्रदर्श–4 व प्रदर्श ए–2) से यह स्पष्ट है कि विवादित भूमि (खसरा नं. 406/1036, 410/1037 आदि) साबिक खसरा नं. 508 से बनी है, जो कि प्रतिवादीगण के पूर्वजों की खातेदारी भूमि है। वादीगण का यह दावा कि यह भूमि खसरा नं. 504 का हिस्सा है, गलत साबित हुआ है। इसके अतिरिक्त, प्रतिवादीगण अनुसूचित जाति के सदस्य हैं, जिनकी भूमि पर वादीगण को राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 42 के तहत खातेदारी अधिकार प्रदान नहीं किए जा सकते।

अतः वादीगण श्री बाबूलाल वगैरा द्वारा प्रस्तुत वाद बाबत घोषणा एवं स्थाई निषेधाज्ञा विरुद्ध प्रतिवादीगण बरजी देवी वगैरा, गुण–दोष (Merit) के आधार पर अस्वीकार कर खारिज (Dismissed) किया जाता है। वादीगण को निर्देशित किया जाता है कि वे प्रतिवादीगण की वैधानिक खातेदारी भूमि में किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप न करें। डिक्री पर्चा तदनुसार मुरत्तब किया जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नियमानुसार दाखिल दफ्तर हो।

सहायक कलक्टर
आमेर मु0 जयपुर

निर्णय आज दिनांक 31.12.2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Suman Choudhary
Date: 2026.01.16 15:19:02 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
आमेर मु0 जयपुर

डिक्री मुकद्दमा इब्तदाई
(ऑ 20 रूल्स 6 व 7 जाब्ता दीवानी)
अज अदालत सहायक कलक्टर आमेर, मु0 जयपुर
पीठासीन अधिकारी सुमन चौधरी (आर.ए.एस)

नियमित वाद संख्या – 131/2017

वाद प्रस्तुति दिनांक –23.10.2017

1. बाबुलाल पुत्र भूराराम आयु लगभग 50 वर्ष जाति मीणा निवासी जैन मन्दिर, सरकारी स्कूल के पास, ग्राम बैनाड़ झोटवाडा जयपुर।
2. सत्यनारायण पुत्र भूराराम आयु लगभग 48 वर्ष जाति मीणा निवासी जैन मन्दिर, सरकारी स्कूल के पास, ग्राम बैनाड़ झोटवाडा जयपुर।
3. कृष्णाकन्हैया पुत्र भूराराम आयु लगभग 40 वर्ष जाति मीणा निवासी जैन मन्दिर, सरकारी स्कूल के पास, ग्राम बैनाड़ झोटवाडा जयपुर।
4. सेडूराम पुत्र गंगाराम जाति मीणा निवासी जैन मन्दिर, सरकारी स्कूल के पास, ग्राम बैनाड़ झोटवाडा जयपुर।

.......वादीगण

बनाम

1. बरजी देवी पत्नी स्व० श्री भूरा (फौत)
1/1. उदयराम पुत्र स्व० श्री भूरा
1/2. खुबाराम पुत्र स्व० श्री भूरा (फौत)
(1/2/1) नरेन्द्र पुत्र स्व० खुबाराम
1/2/2. बिना पुत्री स्व खुबाराम
1/2/3. शकुन्तला स्व० खुबाराम
1/2/4. पार्वती पुत्री स्व० खुबाराम
1/2/5. गीता पुत्री स्व० खुबाराम
1/3. शान्ति देवी पुत्री स्व० श्री भूरा
1/4. प्रेम देवी पुत्री स्व० श्री भूरा,
समस्त जाति रेगर समस्त निवासी ग्राम बैनाडं मय दौलतपुरा तहसील आमेर जिला जयपुर।
2. लक्ष्मीनारायण पुत्र पेमाराम बैनाडमयदौलतपुरा तहसील आमेर जिला जयपुर।
3. कजोड़ पुत्र बदरी (फौत)
3/1 करतार पुत्र स्व० कजोड
3/2. महेन्द्र पुत्र स्व० कजोड़
3/3 नन्नू पुत्री स्व० कजोड़
3/4 प्रभाती पत्नी स्व० कजोड़
समस्त जाति खटीक निवासी ग्राम बैनाड तहसील आमेर जिला जयपुर।
4. राजस्थान सरकार जरिये लैण्ड होल्डर तहसीलदार तहसील आमेर जिला जयपुर।

......प्रतिवादीगण

वाद बाबत घोषणा, इन्द्राज दुरुस्ती एवं स्थाई निषेधाज्ञा
अंतर्गत धारा– 88, 89 एवं 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

Signature Not Verified
Digitally signed by Suman Choudhary
Date: 2026.01.16 15:19:02 IST
Reason: SelfAttested

निर्णय दिनांक 31.12.2025

सहायक कलक्टर
आमेर मु. जयपुर

विस्तृत विवेचन एवं साक्ष्यों के विश्लेषण के आधार पर, न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि वादीगण अपने वाद को साबित करने में पूर्णतः असफल रहे हैं। पत्रावली पर उपलब्ध 'मिलान क्षेत्रफल' (प्रदर्श–4 व प्रदर्श ए–2) से यह स्पष्ट है कि विवादित भूमि (खसरा नं. 406/1036, 410/1037 आदि) साबिक खसरा नं. 508 से बनी है, जो कि प्रतिवादीगण के पूर्वजों की खातेदारी भूमि है। वादीगण का यह दावा कि यह भूमि खसरा नं. 504 का हिस्सा है, गलत साबित हुआ है। इसके अतिरिक्त, प्रतिवादीगण अनुसूचित जाति के सदस्य हैं, जिनकी भूमि पर वादीगण को राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 42 के तहत खातेदारी अधिकार प्रदान नहीं किए जा सकते। अतः वादीगण श्री बाबूलाल वगैरा द्वारा प्रस्तुत वाद बाबत घोषणा एवं स्थाई निषेधाज्ञा विरुद्ध प्रतिवादीगण बरजी देवी वगैरा, गुण–दोष (Merit) के आधार पर अस्वीकार कर खारिज (Dismissed) किया जाता है।

बसख्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत से आज तारीख 31.12.2025 को जारी किया ।

दस्तखत ——
ओहदा ——

सहायक कलक्टर
आमेर मु0 जयपुर

मुददई	रूपये	पैसे	मुददायलह	रूपये	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा	2 रूपये	–	स्टाम्प अर्जी दावा	2 रूपये	–
स्टाम्प वकालतनामा	2 रूपये		स्टाम्प वकालतनामा	2 रूपये	
स्टाम्प वजह सबूत			स्टाम्प वजह सबूत		
महन्ताना वकील			महन्ताना वकील		
खर्चा गवाहन			खर्चा गवाहन		
फीस कमिश्नर			फीस कमिश्नर		
बबत् इजराय हुक्मानामा			बबत् इजराय हुक्मानामा		
मुतफरित	4 रूपये		मुतफरित	4 रूपये	
मीजान			मीजान		

Signature Not Verified
Digitally signed by Suman Choudhary
Date: 2026.01.16 15:19:02 IST
Reason: SelfAttested